न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 24/2020

बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल जाति कीर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादनी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 03.03.2020

निर्णय दिनांक : 02.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 132 खसरा नं0 401 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 494/742 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 53 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 56 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 58 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 60 रकबा 1.11 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.32 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल के स्थान पर बद्री पुत्र धूल्या दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल है। ज़िसको वादी बद्री पुत्र धूल्या के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में बद्री पुत्र धूल्या के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बद्री पुत्र धूल्या के स्थान बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल की ओर से पटवारी पटवार मण्डल सोनवां ने उपस्थित होकर दिनांक 30.09.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार बद्री पुत्र धूल्या जाती कीर को बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल जाति कीर के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति बद्री पुत्र धूल्या जाती कीर व बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

जाति कीर एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त महिला का नाम बद्री पुत्र धूल्या कीर के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल कीर सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व जगदीश प्रसाद पुत्र गोविन्द लाल जाति कीर निवासी सोनवां के आधार पर आराजी खाता संख्या 132 खसरा नं0 401 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 494/742 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 53 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 56 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 58 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 60 रकबा 1.11 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.32 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम बद्री पुत्र धूल्या कीर के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र धूलीलाल कीर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner